

**राजस्थान सरकार**  
**नगरीय विकास विभाग**

क्रमांक: प.4(79)नविवि/2023

जयपुर, दिनांक: 16 JAN 2024

**—:आदेश:—**

जयपुर विकास प्राधिकरण कर्मचारी (भर्ती एवं सामान्य शर्तें) विनियम, 2023 की अनुसूची-III अभियांत्रिकी सेवा में प्रथम श्रेणी सेवा की पदोन्नति हेतु गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 11.12.2023 की अनुशंषानुसार निम्नांकित अतिरिक्त मुख्य अभियंता को मुख्य अभियंता के पद पर वेतन श्रृंखला 37400-67000 ग्रेड पे-10,000 (एल-24) में एतद्वारा पदोन्नत किया जाता है:-

क्र.सं.	नाम	वर्ग	चयन वर्ष	रिक्ति दिनांक
1.	श्री देवेन्द्र गुप्ता	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023
2.	श्री अजय गर्ग	अनारक्षित	2023-24	05.10.2023

उपरोक्त अभियंताओं की मुख्य अभियंता के पद पर पदोन्नति उनके नाम के सम्मुख अंकित रिक्ति दिनांक से प्रभावी होगी, लेकिन वास्तविक नकद वेतन का परिलाभ कार्यग्रहण तिथि से देय होगा। उपरोक्त अधिकारी अपने वर्तमान पदस्थापन स्थान पर कार्यग्रहण कर कार्यग्रहण रिपोर्ट इस विभाग को भिजवायेंगे।

राज्यपाल की आज्ञा से,




(अवधेश सिंह)

शासन संयुक्त सचिव-तृतीय

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास एवं आवासन विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग, राजस्थान, जयपुर।
3. आयुक्त/सचिव, जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।
4. विशिष्ट शासन उप सचिव, नगरीय विकास विभाग को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड किये जाने हेतु।
5. संबंधित अधिकारीगणों को विभागीय वेबसाइट के माध्यम से।
6. रक्षित/निजी पत्रावली।

  
शासन संयुक्त सचिव-तृतीय